न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 13/2020
रजिस्ट्रेशन नं. : 2020/00036

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री लोकेन्द्र सिंह पिता रामचन्द्र जी राजपुत, निवासी वाया पोस्ट रोहडिया, लक्ष्मण सिंह, तहसील सज्जनगढ जिला बॉसवाडा (राज.) (ऋणी)
2. श्रीमती करुणा कंवर पत्नि लोकेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी वाया पोस्ट रोहडिया, लक्ष्मण सिंह, तहसील सज्जनगढ जिला बॉसवाडा (राज.) (सहऋणी/बंधककर्ता)
3. श्री संदीप पांचाल पिता जगदीश चन्द्र जाति पांचाल निवासी वार्ड नं.4 पांचाल मोहल्ला, इटाला रोड, टाण्डा रत्ना, सज्जनगढ, तहसील सज्जनगढ जिला बॉसवाडा (सहऋणी)
4. श्री जयराज कलाल पिता कान्तिलाल कलाल जाति कलाल निवासी शिव मंदिर रोड सज्जनगढ, तहसील सज्जनगढ जिला बॉसवाडा (सहऋणी)
5. श्री रामचन्द्र पिता शिवसिंह राणावत, निवासी 304,सज्जनगढ पार्ट, तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा (सहऋणी)
6. विनायक शिक्षण संस्थान सज्जनगढ जरिये सेकेट्री संदीप चन्द्र पता वाया पोस्ट सज्जनगढ, तहसील सज्जनगढ, जिला बॉसवाडा (सहऋणी)
7. श्री कांतिलाल कलाल पिता मूलचंद कलाल निवासी कुंडनी हाला बॉसवाडा तहसील बॉसवाडा (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 25.11.2020

ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री लोकेन्द्र सिंह पिता रामचन्द्र जी राजपुत, निवासी वाया पोस्ट रोहडिया, लक्ष्मण सिंह, तहसील सज्जनगढ जिला बॉसवाडा (राज.) (ऋणी) 2– श्रीमती करुणा कंवर पत्नि लोकेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी वाया पोस्ट रोहडिया, लक्ष्मण सिंह, तहसील सज्जनगढ जिला बॉसवाडा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.03 10:45:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(राज.) (सहऋणी/बंधककर्ता) एवं 3 श्री संदीप पांचाल पिता जगदीश चन्द्र जाति पांचाल निवासी वार्ड नं.4 पांचाल मोहल्ला, इटाला रोड, टाण्डा रत्ना, सज्जनगढ, तहसील सज्जनगढ जिला बॉसवाडा (सहऋणी) 4 श्री जयराज कलाल पिता कान्तिलाल कलाल जाति कलाल निवासी शिव मंदिर रोड सज्जनगढ, तहसील सज्जनगढ जिला बॉसवाडा (सहऋणी) 5 श्री रामचन्द्र पिता शिवसिंह राणावत, निवासी 304,सज्जनगढ पार्ट, तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा (सहऋणी) 6 विनायक शिक्षण संस्थान सज्जनगढ जरिये सेकेट्री संदीप चन्द्र पता वाया पोस्ट सज्जनगढ, तहसील सज्जनगढ, जिला बॉसवाडा (सहऋणी), 7 श्री कांतिलाल कलाल पिता मूलचंद कलाल निवासी कुंडनी हाला बॉसवाडा तहसील बॉसवाडा (जमानती) जिसमें अप्रार्थी सं.1 से 6 को दिनांक 10.08.2019 को 1500000 (पंद्रह लाख) रुपया ऋण राशि स्वीकृत की गई थी। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 22–10–2019 तक कुल बकाया ऋण राशि 1408662 रू. (चौदह लाख आठ हजार छः सौ बासठ रूपया) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में गिरवीकृत किया गया जिसके अन्तर्गत श्रीमती करुणा कंवर की सम्पत्ति जो ग्राम टाण्डा रत्ना, सज्जनगढ, तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाड़ा पर स्थित है, जिसका आराजी सर्वे नं. 1862/571 माप लगभग 26260 वर्ग फीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके उत्तर में प्रकाशजी की कृषि जमीन, दक्षिण में सडक, पूर्व में प्रकाशजी की कृषि जमीन एवं पश्चिम में सडक स्थित है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 25–10–2019 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को रु. 15,00,000 ऋण स्वीकृत किया गया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.03 10:45:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2,5,7 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नही हुए। अप्रार्थी सं. 1,3,4,6 की ओर से जवाब प्राप्त नही हुआ।

दिनांक 20.11.2020 को अप्रार्थीगणो की ओर से जवाब प्राप्त नही होने से जवाब बंद कर अनुपस्थित अप्रार्थी सं. 2,5,7 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी सं. 1,3,4,6 के अधिवक्ता अनुपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर ब्रीफ प्रस्तुत किया गया। ब्रीफ पर अधिकृत प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगणो को नोटिस के साथ प्रार्थी द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र, खाते का विवरण इत्यादि की नकले दी गई है। फिर भी अप्रार्थी सं. 1,3,4,6 की ओर से नकल चाहने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में ऋणी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि भी जमा नही करवाई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगणो को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा चुके है। किन्तु ऋणी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि जमा नही करवाई गई है।

सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था/बैंक को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सज्जनगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

(अंकित कुमार सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.03 10:45:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner